

पत्रावली पेश डई। रक रक कर लीन धार
आवाज दिलाई गई न हो वकील उपाधीत है
आरे न ही पक्षकारान सेती स्थिते मे न्यापालप
इस प्रकार को आगे औरकाए रखना उचित
नहीं समझता है। अतः पत्रावली अफम
दाजरी अफम पेशी मे स्वारिज की जाती है
पत्रावली फौसल शुमाए होकर नम्बर से
कम की जावे। निर्णय आज दिनांक
19-7-2022 को सरे वजलास सुनाया
गया।

रूप सण्ड अधिकारी
वकील